



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24012026-269557
CG-DL-E-24012026-269557

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 289।

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 20, 2026/पौष 30, 1947

No. 289।

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 20, 2026/PAUSAH 30, 1947

सङ्क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2026

का.आ. 317(अ).—केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सङ्क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना एस.ओ. 6053(ई) दिनांक 29.12.2025 (प्रधान अधिसूचना), जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (II) में प्रकाशित हुई थी, में नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार निम्नलिखित संशोधन करती है,:-

अनुसूची

आवश्यक संशोधन का विवरण निम्नानुसार है

क्रमिक संख्या	मुख्य अधिसूचना जिसमें संशोधन की आवश्यकता है				संशोधित किया जाने वाला मामला	
	जगह	मामले का विवरण				
1	क्रमिक संख्या 1,	तालुक/मंडल	गाँव का नाम	तालुक/मंडल	गाँव का नाम	
		पचपदरा	1 पचपदरा	पचपदरा	1 पचपदरा	
			2 भांडियावास		2 भांडियावास	

कॉलम 6 और 7		3	मालियों की ढाणी		3	मालियों की ढाणी
		4	चिरडाणी		4	चिरडाणी
		5	हिमताणी भांभुओं की ढाणी		5	हिमताणी भांभुओं की ढाणी
					6	मण्डापुरा
		1	कुड़ी		1	कुड़ी
	कल्याणपुर	2	पटाऊ खुर्द	कल्याणपुर	2	पटाऊ खुर्द
		3	पटाऊ कलां		3	पटाऊ कलां

[फा. सं. RW/NH12014/121/2024-MAH/Zone-IV]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

CORRIGENDUM

New Delhi, the 20th January, 2026

S.O. 317(E).—In exercise of powers conferred by clause(a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government, here by makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O 6053 dated 29.12.2025 (Principal Notification) published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3 Sub-Section (ii) as per the schedule given below.

SCHEDULE

Details of amendment required are as under

Sl. No.	Matter in principal notification that requires amendment			Matter to be amended as			
	Location	Details of matter					
Serial No 1, Column 6 & 7	Pachpadra	Taluk/ Mandal	Name of Village		Taluk/ Mandal	Name of Village	
		1	Pachpadra		1	Pachpadra	
		2	Bhandiyawas		2	Bhandiyawas	
		3	Maaliyon ki Dhani		3	Maaliyon ki Dhani	
		4	Chiradani		4	Chiradani	
		5	Himtani Bhambhuo ki Dhani		5	Himtani Bhambhuo ki Dhani	
					6	Mandapura	
	Kalyanpur	1	Kudi		Kalyanpur	Kudi	

			2	Patau Khurd		2	Patau Khurd
			3	Patau Kalan		3	Patau Kalan

[F. No. RW/NH12014/121/2024-MAH/Zone-IV]

SAIKH AMINKHAN, Director